न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./134/2023/बाड़मेर

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
भंवराराम पुत्र शिवदानाराम, जाति मेघवाल, निवासी नई उन्दरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	1. उतमाराम पुत्र भंवराराम 2. दीपाराम पुत्र भंवराराम 3. अणदाराम पुत्र शिवदानाराम 4. इन्द्राराम पुत्र शिवदानाराम 5. उदाराम पुत्र शिवदानाराम, कौम मेघवाल, निवासी नई उन्दरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 6. मैनेजर एम.जी.बी. शाखा सडा 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक, गुडामालानी 8. हनमानराम पुत्र भंवराराम 9. भागीरथ पुत्र भंवराराम 10. पूनमाराम पुत्र भंवराराम 11. मदन कुमारी पुत्री भंवराराम, जाति मेघवाल निवासी नई उन्दरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2023 बउनवान उतमाराम वगैरह बनाम भंवराराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2023 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री खेताराम सैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पो. सं. 1 से 2 की ओर से।
3. वकील श्री पन्नालाल जांगीड़ रेस्पो. सं.03 से05 व 08 से 11 की ओर से।

4. शेष रेस्पों. सूचना अनुपस्थित।.

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

–:निर्णय:–

दिनांक:–31.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 से 02/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 207 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम जूनी उन्दरी, पटवार हल्का धोलानाडा, तहसील गुडामालानी के खसरा संख्या 297 रकबा 4.8174 हैक्टेयर व ग्राम नई उन्दरी, पटवार हल्का खुडाला के खसरा संख्या 171/1 रकबा 0.9470 हेक्टेयर, खसरा संख्या 7/1 रकबा 1.3193 हेक्टेयर व ग्राम मानपुरा में खेत खसरा संख्या 31 रकबा 1.8373 हेक्टेयर, खसरा संख्या 32 रकबा 2.3876 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पूर्वज शिवदाना के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। तत्पश्चात वादीगण के पूर्वज शिवदाना के फौत होने से शिवदाना के विधिक वारिसान अनुसार इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी हैं, समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्सा निहित होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादी भी सहखातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 से 02/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 207 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम जूनी उन्दरी, पटवार हल्का धोलानाडा, तहसील गुडामालानी के खसरा संख्या 297 रकबा 4.8174 हैक्टेयर व ग्राम नई उन्दरी, पटवार हल्का खुडाला के खसरा संख्या 171/1 रकबा 0.9470 हेक्टेयर, खसरा संख्या 7/1 रकबा 1.3193 हेक्टेयर व ग्राम मानपुरा में खेत खसरा संख्या 31 रकबा 1.8373 हेक्टेयर, खसरा संख्या 32

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबा 2.3876 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पूर्वज शिवदाना के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। तत्पश्चात वादीगण के पूर्वज शिवदाना के फौत होने से शिवदाना के विधिक वारिसान अनुसार इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी हैं, समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्सा निहित होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादी भी सहखातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट वाद तलबी जरिये अधिवक्ता के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को पूर्ण विश्वास दिलाया गया था कि में आप/अपीलांट की पूर्ण उचित पैरवी करूंगा। किन्तु मेरे वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ढंग से पैरवी नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही प्रकरण के बारे में अपीलांट को वकील द्वारा सूचित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 को सहखातेदार घोषित नहीं किया, जिससे अपीलांट के हितों पर कुठाराघात हुआ है। अपीलाधीन निर्णय की आड़ में वर्तमान में रेस्पों. अपीलांट के कब्जा–काश्त में दखतअंदाजी कर अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हैं। उक्तानुसार एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का सहदायिकी पक्षकार है जिसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को कभी जानकारी नहीं दी गई। जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील की गलती की सजा किसी पक्षकार को दिया जाना हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। वक्त बहस वकील रेस्पों. ने भी पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 40, 207 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2023 बउनवान उतमाराम वगैरह बनाम भंवराराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आरजी का राजस्व रेकार्ड ताफैसला

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यथावत रखते हुए सभी पक्षकारान की विधिक हिस्से अनुसार अपीलांटरा को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, विधि सम्मत विवेचन करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

31/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/2025

राजस्व अपील अधिकारी